यमुना–मुक्ति यात्रा : जन आन्दोलन बनाम सियासत

फ़रीदाबाद (म.मो.) उत्तराखंड के यमुनोत्री से अमृत समान निर्मल जल ले कर बहने वाली यमुना दिल्ली से निकलते न निकलते एक गंदे ज़हरीले नाले का रूप ले लेती है। इसके दुष्प्रभाव से पर्यावरण, कृषि तथा पशु धन आदि सभी भयंकर खतरे की चपेट में रहते हैं। इसी दुष्प्रभाव को समाप्त करने हेतु 'यमुना बचाओ' नामक यात्रा का आयोजन किया गया है जो पहली मार्च को वृंदावन से चल कर 9 मार्च को दिल्ली स्थित संसद भवन पहुंचने वाली थी। लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते इसने 11 मार्च को दोपहर बाद दिल्ली में प्रवेश किया।

भारतीय किसान यूनियन के भानु ग्रुप तथा जय गुरूदेव द्वारा आयोजित इस उपक्रम को दिल्ली पहुंचते-पहुंचते भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ द्वारा पूरी तरह से कब्ज़े में ले लिया गया। इनके कब्ज़े में आना मौलिक आयोजकों की मजबूरी भी थी, वरना हालात ऐसे हो चले थे कि 'यात्रा' का दिल्ली सीमा में घुस पाना भी मुश्किल था। करीब 200 वाहनों, जिनमें अधिकांश ट्रक व ट्रैक्टर थे तथा कुछ बड़ी छोटी कारें थीं, पर सवार यात्रियों के अलावा कुछ यात्री पैदल भी चल रहे थे। कुल संख्या सात हज़ार के करीब रही होगी। फ़रीदाबाद में पड़ाव के दौरान दिल्ली पुलिस के डी सी पी स्तर के चार पुलिस अधिकारी बातचीत के बहाने इन्हें धमकाने भी आये थे। दिल्ली पुलिस चाहती थी कि किसी तरह यात्रा हरियाणा की सीमा में ही समाप्त हो जाये। परन्तु पुलिसिया धमकी का असर यह हुआ कि यात्रा पूर्णतया संघ परिवार की झोली में चली गयी। भाजपा के खुले समर्थन से यात्रियों की संख्या के साथ-साथ हौंसले भी बढ़ने लगे। इसके चलते दिल्ली पुलिस के तेवर भी ढीले हो गये दिल्ली पुलिस की तरह ही हरियाणा पुलिस का भी तर्क था कि यमुना शुद्धिकरण की मांग तो उचित है लेकिन जिस ढंग से यात्रा निकाली जा रही है उससे सड़क पर आवागमन करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात तो ठीक है लेकिन समस्या यह है कि अंधी, बहरी व भ्रष्ट सरकार और कोई भाषा समझती भी तो नहीं। यदि समझती होती और उसे आम आदमी के आवागमन की थोड़ी भी चिन्ता होती तो वह इस यात्रा एवं प्रदर्शन की नौबत ही न आने देती।

पिछले 65 सालों से यमुना का प्रदूषण बढ़ते-बढ़ते इतना हो गया है कि अब यह कहीं से भी वह जीवन दायनी नदी नज़र नहीं आती, केवल एक गंदे नाले की तरह दिखती है इतना सब तो तब है जब पिछले 15 वर्षों में हज़ारों करोड़ इसकी शुद्धि पर खर्च किये जा चुके हैं। वास्तव में यह रकम यमुना की शुद्धि के नाम पर नेताओं, अफ़सरों व ठेकेदारों द्वारा डकार

ली गयी है। यात्रा आयोजकों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार यमुनोत्री से निकलने के थोड़ी दूर बाद इसे हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज में कैद कर लिया जाता है। यहां से 68 प्रतिशत पानी पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा को, 12 प्रतिशत पूर्वी यमुना नहर द्वारा उत्तर प्रदेश तथा शेष बचा 20 प्रतिशत पानी ही यमुना नदी में छोड़ा जाता है इस 20 प्रतिशत पानी के दिल्ली पहुंचते ही इसे वजीराबाद बैराज पर रोक कर दिल्ली की प्यास बुझाने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में दिल्ली सीमा में पहुंचते ही यमुना का पानी समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें जो कुछ होता है वह दिल्ली के विभिन्न नालों द्वारा डाला जाने वाला सीवेज (मल-मूत्र) तथा औद्योगिक इकाइयों का विषाक्त कचरा। यही मल मूत्र एवं औद्योगिक कचरा यू पी को जाने वाली आगरा नहर तथा हरियाणा को जाने वाली गुड़गांव नहर में बतौर पानी छोड़ा जाता है। बचा खुचा गंदा पानी आगे की यमुना में जाने दिया जाता है।

यमुना रक्षक प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यमुना को हथिनी कुंड से मुक्त करा कर कम से कम 70 प्रतिशत पानी को नदी में बहने दिया जाये। इसके अलावा दिल्ली के तमाम गंदे नालों को इसमें गिरने से रोका जाये। इसके लिये जल शोधन पलांट लगा कर, शोधित पानी को कृषि कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जाये। शोधित जल को खेतों तक ले जाने के लिये अलग से विशेष नहरों का निर्माण किया जाये।

नि:संदेह आन्दोलनकारियों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। इसी के मद्देनज़र सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार केन्द्र सरकार को फटकारा है और उससे ऐसे शपथ-पत्र लिये हैं जिनमें कहा गया है कि यमुना में बिना शोधन के पानी नहीं छोड़ा जायेगा। इसी काम पर सरकार ने 1993 से 2008 तक 1300 करोड़ खर्च दिखा रखा है। और आगे के लिये 6500 करोड़ का बजट बना रखा है। रही बात हथिनी बराज से 70 प्रतिशत पानी छोड़ने की तो उसकी कतई कोई संभावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। यदि ऐसा हुआ तो हरियाणा की अधिकतर नहरें तथा यू पी की कुछ नहरें बिल्कुल सूख जायेंगी और इनके सूखने का मतलब होगा हरियाणा वासियों द्वारा सड़कों पर उतरना। दरअसल जिस ज़माने में हथिनी कुंड बैराज बना कर पानी का बंटवारा किया गया था, उस वक्त हरियाणा व यू पी को पानी देने के बावजूद भी यमुना में इतना पानी बचा रहता था जितना कि आज 70 प्रतिशत छोड़ने पर बहेगा। जाहिर है यमुना में आने वाले पानी की मात्रा में भारी कमी हुई है और इस कमी का बढ़ना अभी जारी है। इसका मूल कारण यमुना स्रोत क्षेत्र में जंगलों की कटाई तथा भवन एवं सड़क निर्माण कार्य हैं जिन्हें प्रभावशाली लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु लगातार करते जा रहे हैं।

'अगला महायुद्ध पानी के लिये होगा' यह भविष्यवाणी अब सही होती दिखने लगी है। यमुना रक्षक पदयात्री जहां 70 प्रतिशत पानी को नदी में छोड़े जाने के लिये लामबंद हुए हैं, वहीं यदि हरियाणा तथा यू पी की नहरों को सुखाया गया तो वे लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, गंदे नालों की बात पृष्ठभूमि में चली जाएगी।

मालिकों के मुनाफे की हवस के शिकार होते मज़दूर

ऐसी घटनाएं पहली या आखिरी नहीं है। इसलिए मज़दूरों को इन घटनाओं के कारणों को जानकर विरोध करना पड़ेगा। मज़दूरों को संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ़ संघर्ष छेड़ना होगा।

आज हम अधिकतर असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की हालत को देखें, तो बहुत ही दयनीय है। आये दिन कम्पनियों में मज़दूर दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। यह मज़दूरों की लापरवाही की जगह से नहीं, बल्कि मालिकों के अति मुनाफे की वजह से होती है। मज़दूर जब खतरनाक मशीनों पर काम करता है तो उनकी दुर्घटनाओं से बचाव के लिये सुरक्षा के इंतजाम कराने की जिम्मेदारी मालिक की होती है। लेकिन ऐसा वह नहीं करता है। क्योंकि मालिक मज़दूरों को इंसान न समझकर एक मशीन का पुर्जा समझता है। जब कोई पुर्जा खराब हुआ तो उसको निकाल, उसके स्थान पर दूसरा पुर्जा लगा दिया जाता है। ऐसा ही मज़दूरों के साथ होता है। इस प्रकार मज़दूरों को खतरे में डालकर लगातार सुरक्षा के मानकों में कटौती करता जाता है।

वह पुरानी मशीनों व उससे जुड़े उपकरणों में बदलाव नहीं करता। इस प्रक्रिया में बचत कर पुरानी मशीनों पर काम कराते रहते है। इस प्रकार मज़दूर पुरानी मशीनों पर काम करने के लिये मज़बूर रहते हैं और फिर इसके परिणामस्वरूप आये दिन दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं।

ऐसी एक घटना सिडकुल (हरिद्वार) में स्थित 'नवयुग इण्डस्ट्रीज कम्पनी' में हुई। यह कम्पनी सेक्टर 7 के प्लाट नं. 56,57,58 व 59 में है। इस कम्पनी का मालिक अनुपम गुलाटी दिल्ली का रहने वाला है। इस मालिक के दिल्ली, फ़रीदाबाद, में भी प्लांट थे। लेकिन अब वहां के प्लाण्ट बन्द करा हरिद्वार में ही खोल रहा है। इस कम्पनी में सीएण्डएस, एबीबी और एम्प्रे आदि कम्पनियों के लिये माल तैयार किया जाता है। ये कम्पनियां हरिद्वार सिडकुल में ही है। ये कंपनियां ही कच्चा माल व मोल्ड उपलब्ध कराती हैं। इस कम्पनी में प्लास्टिक के सामान तैयार किये जाते हैं जिसमें कुर्सी, पेन बॉक्स, मग और स्विच आदि माल तैयार होता है। इस कम्पनी में मज़दूरों की संख्या 70-80 के करीब है। मज़दूरों की भर्ती स्थाई कहकर की जाती है। लेकिन मज़दूरों की कोई नियुक्ति पत्र या स्थाई होने का कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। यहां पर मज़दूरो के कानूनी हक भी नहीं दिया जाता है। जिसमें साप्ताहिक अवकाश, पी. एफ., ई.एस.आई. आदि अधिकारों से मज़दूरों को वंचित रखा जाता है। 12-12 घण्टे की शिप्ट चलती है। राष्ट्रीय, धार्मिक अवकाश के दिनों में भी काम करने के लिये बाध्य किया जाता है। यहां पर वार्षिक (ए एल) व आकस्मिक (सी एल) छुट्टियां भी नहीं मिलतीं। यहां पर महीने के तीसों दिन काम कराया जाता है। अधिकतर मज़दूर झारखण्ड के हैं।

इस कम्पनी में कैण्टीन की व्यवस्था भी नहीं हैं। 12 घण्टे में एक घटिया चाय मिलती है। मज़दूरों को काम के दौरान सुरक्षा के उपकरण नहीं दिये जाते। यहां पर भारी से भारी मोल्ड हैं जिनका वजन 7 से 8 कुन्टल तक है। जो समय-समय पर अलग-अलग उत्पाद के हिसाब से चढ़ाये-उतारे जाते हैं। इस प्रक्रिया को करने में मज़दूरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मज़दूर इस काम को चैन, कुप्पी से करते हैं। जोकि एक जोखिम भरा काम है। चैन, कुप्पी के फिसलने या टूट जाने का खतरा बना रहता है। इस कम्पनी में चैन कुप्पियां पुरानी हैं। जो काम के दौरान जाम या सिलिप हो जाती हैं। इस कम्पनी में स्वचालित मशीनों की व्यवस्था नहीं हैं और इस प्रकार मालिक इन सब सुविधाओं में कटौती कर बेशुमार मुनाफा कमा रहा है।

इस सब कमी की वजह से 23 नवम्बर को काम के दौरान चैन, कुप्पी में एक मज़दूर के हाथ की अंगुली बहुत बुरी तरह से पिच गयी। मालिक मैनेजमेण्ट की लापरवाही की वजह से मज़दूर को अपनी अंगुली गंवानी पड़ी। कम्पनी वाले इस मज़दूर को अपने पसंदीदा डाक्टर के पास ले गये जिसने इलाज में लापरवाही बरती और सही तरह से इलाज नहीं किया। लेकिन मज़दूर की अंगुली से बढ़कर बीमारी बढ़ती जा रही थी। बाद में मज़दूर ने परेशान होकर मालिक पर केस कर डाला। तब जाकर मालिक हरकत में आया और इलाज सही तरीके से कराने में पहलकदमी ली। ऐसी घटनाएं पहली या आखिरी नहीं है। इसलिए मज़दूरों को इन घटनाओं के कारणों को जानकर विरोध करना पड़ेगा। मज़दूरों को संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ़ संघर्ष छेड़ना होगा।

श्रममंत्री तक गुहार लगा लो, श्रम विभाग मालिकों की दलाली ही करेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 25 सोहना रोड पर स्थित मौर्या उद्योग के एक श्रमिक रघुबीर सिंह ने 'मज़दूर मोर्चा' कार्यालय में आकर बताया कि वह जनवरी 2005 से उस कारखाने में काम करता आ रहा था।

अगस्त 2009 में उसे केवल इसलिये निकाल दिया कि उसने श्रम विभाग को मालिकान की शिकायत की थी। रघुबीर बताते हैं कि उनके कारखाने में करीब 1300 श्रमिक काम करते हैं। इनमें से 200 को छोड़ कर शेष सभी कैजुअल अथवा ठेकेदारी में काम करते हैं। तमाम श्रम कानूनों की अवहेलना करते हुए कारखाने में 12-12 घंटे की शिफ़्ट चलती है। इसके बावजूद सरकार द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता जो 8 घंटे की ड्यूटी करने पर मिलना चाहिये। श्रमिकों का हाजरी रिकार्ड न बन पाये इसलिये इन्हें ई एस आई व पी एफ की सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। काम करते वक्त दुर्घटना होने पर मज़दूर को गेट से बाहर कर उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यदि कभी मज़दूर थोड़ा बहुत दबाव बना पायें तो घायल को किसी प्राइवेट डाक्टर के पास भेज देते हैं।

स्थानीय श्रम विभाग में जब रघुबीर की सुनवाई नहीं हुई तो उसने हिन्द मज़दूर सभा के माध्यम से राज्य के श्रम सचिव को अपनी शिकायत भेजी। करीब 2 माह बाद वहां से स्थानीय श्रम अधिकारी को आदेश आया कि वह शिकायत का निपटारा करे। श्रम अधिकारी ने कारखाने में आया प्रबन्धकों से 'मुलाकात' करके रघुबीर को आश्वासन दिया कि उसने प्रबन्धकों को समझा दिया है सब ठीक हो जायेगा। ठीक यह हुआ कि रघुबीर को ही यूनियन बनाने के आरोप में गेट से बाहर कर दिया गया। श्रम विभाग का हाल-चाल देख कर वह स्थानीय विधायक एवं श्रम मन्त्री शिवचरण के पास पहुंचा। वहां पूरा आश्वासन मिला, मालिकान को फ़ोन किया गया, एक प्रबन्धक आया भी लेकिन मन्त्री जी से 'मिलनी' करके चला गया। कई चक्कर लगाने के बाद मन्त्री जी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, अदालत में अपना केस लड़ो। मन्त्री जी का रुख देख कर रघुबीर बल्लबगढ से विधायक शारदा राठौर के पास गया। वहां से भी आश्वासन के सिवा कुछ न मिला। करीब 2 साल धक्के खाने के बाद रघुबीर को यह समझ में आया कि सत्तारूढ नेताओं के संरक्षण में श्रम विभाग केवल मालिकान की दलालीकरता है और नेता गण घर बैठे अपना हिस्सा वसूलते हैं।